दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 08-09-2025

मेडिकल कॉलेज को मान्यता दिलाने के नाम पर 16.62 लाख रिश्वत, जमानत नहीं

आरोपी को हाई कोर्ट ने इलाज कराने दो माह की अंतरिम जमानत दी

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

श्री रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज को मान्यता दिलाने के नाम पर 55 लाख रुपए रिश्वत लेने के एक आरोपी को हाई कोर्ट ने नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया है। आरोपी को बीमारी के इलाज कराने दो माह की अंतरिम जमानत दी गई है। हाई कोर्ट में जमानत आवेदन रिश्वत देने वाले ने लगाया था।

रायपुर के श्री रावतपुर सरकार मेडिकल कॉलेज को मान्यता दिलाने के नाम पर रिश्वतखोरी की शिकायत पर सीबीआई की टीम ने कार्रवाई की थी। सीबीआई की जांच के अनुसार 30 जून 2025 को रात 10:10 बजे डॉ. चैत्रा के पति रविचंद्र के. कथित रूप से आवेदक आरोपी सतीशा ए. के घर पहुंचे और 16.62 लाख रिश्वत ली। छापेमारी में आरोपी के घर से 38.38 लाख नकद बरामद हुए। इसके बाद 1 जुलाई 2025 को दोनों को गिरफ्तार किया गया और बेंगलुरु स्थित सीबीआई कार्यालय लाया गया। बाद में उन्हें विशेष सीबीआई कोर्ट रायपुर में पेश किया गया। सतीशा ए ने हाई कोर्ट में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था। इसमें कैंसर, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियों का हवाला देते हुए कहा गया कि उसे नियमित फोटोथैरेपी व इलाज की आवश्यकता है, जिससे वह इलाज करा सके। सीबीआई ने भी मेडिकल रिपोर्ट की पुष्टि की और माना कि आरोपी को विशेष इलाज की जरूरत है। हालांकि हाई कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए नियमित जमानत नहीं दी जा सकती, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से दो महीने की अंतरिम जमानत मंजूर की।